

23/5/18


FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

शिवर-ओरिदपुरा

अज अदालत (सिहायक) कलक्टर (उपखंड अधिकारी) मुकाम बैरू
 मोती गिना वीणा धाकड़ निं हनुमानिया वनास रूपापिता वीणा धाकड़ नं०
 करम मुकदमा नं० 49/2018 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
23/05/2018	<p>वाइपत्र अं-ध० 88 R-T Act व उनमल वाली मोती गिना वीणा धाकड़ निं हनुमानिया, फ. ह. कोसिकुल, रामपुरिया, नं० बैरू द्वारा वकील की ओर से अक्रोक शाखा के अधिकार को सौंपा गया है, जिस पर वकीलवाट बैरू से लिफ्ट की गयी। वकीलवाट बैरू द्वारा अकारात्मक अंतर्विषय प्रस्तुत किया गया। साथ ही इकबालिया अवाव प्रतिवारी का हवा की ओर से पेश हुआ है, जो कि शामिल मिसल लिखे गये।</p> <p>हमारे द्वारा वाइपत्र दर्ज सचिवर किया जाकर दोनों पक्षों को सुना गया। ठाकुर में अंतर्विषय इकबालिया अवाव व नकल पत्रावली व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन व मन्वय किया गया। पत्रावली में अंतर्विषय वारीवाटि अजरा व दस्तावेजों में स्पष्ट होता है कि वाली मोती व प्रतिवारी द्वारा दोनों पक्षों को सुना है और अंतर्विषय को हनुमानिया फ. ह. रामपुरिया नं० बैरू में वाली व प्रतिवारी संख्या एच की नियुक्त वेंचक खातेदारी व निस्तेवारी की हवि आरखीयान (डी) खाता संख्या 69 की अं० सं० 45, 46, 47 में 249, 308 कुल खिना - 5 कुल रकबा 2.8800 है (बी) खाता सं० 70 की अं० सं० 99, 108, 109, 176, 184, 212, 213, 247, 286, 285 कुल खिना 11 कुल रकबा 2.3300 है (सी) खाता सं० 77 की अं० सं० 30, 50, 96, 111, 112, 147, 194, 257, 258, 267, 282 कुल खिना 11 कुल रकबा 2.3700 है अतः अंतर्विषय में वाली निस्तेवारी है एवं मोती वर गानिज है। अतः खाता संख्या 70 में वाली के नाम का अंतर्विषय है, किंतु खाता संख्या 69, 72 में वाली मोती के नाम का अंतर्विषय पाया गया है। अतः प्रतिवारी द्वारा अंतर्विषय अवाव पेश कर अहमदी वारी की गयी है। अतः खाता संख्या 69, 72 में खाता के नाम ही "मोती" का नाम अंतर्विषय किया जाकर खातेदारी अधिकार दिया जाना समायोजित है।</p>	

सि० अं० मोती

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अर्हक जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>अंतर: बाद वादी का डी-एच 88 R.F.A का हथियार खिया जाकर वाइपर/दाक डिली किया जाता है। मौला हनुमती, 78 80 समुदाय तहसील में वादी व प्रतिवादी संस्था एक ही पत्रक संयुक्त खातेदारी व हिस्सेदारी की कृषि आरक्षित खाल सिद्धा 69 व 72 में वर्णित आरक्षित में प्रतिवादी संस्था एक स्वयं के आश्र की वादी "मौली" का नाम श्री राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार से हथियार की जाकर धर्म वालस देव तहसीलदार वेंगु में ही जाने। यथावली कैसल शुभार लेकर नंबर से कम लेकर दाखिल हफ्तार है।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक प्रकोक्टर (उपकृत अधिकारी) वेगु (चिनाईगढ़) </p>	